"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 314] रायपुर, शनिवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 19, शक 1933

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर, 2011 (अग्रहायण 09, 1933)

अधिसूचना

क्रमांक 13288/वि.स./स्था./2011.— सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22, सन् 2005) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अध्यक्ष, विधान सभा छत्तीसगढ़ निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** (1) यह नियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क और मूल्य विनियमन) नियम, 2011 कहलायेंगे.

(2) यह नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं** इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22, सन् 2005) से है.

(ख) "धारा" का तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा से है.

(ग) शब्दों एवं अभिव्यक्तियों, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम में हैं.

(घ) "लोक सूचना अधिकारी" एवं "अपीलीय अधिकारी" से तात्पर्य छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पदाभिहित उक्त अधिकारियों से है.

(3) कोई व्यक्ति, जो उक्त अधिनियम के अधीन विहित किसी सूचना के निमित्त पहुंच रखना चाहता हो, अपने सम्पर्क दूरभाष क्रमांक, यदि कोई हो, निरीक्षण हेतु विहित शुल्क के भुगतान का प्रमाण-पत्र या गरीबी-रेखा के नीचे के परिवार का अपने सदस्य होने के प्रमाण सहित आवेदक का नाम और पता तथा सूचना के विवरण, जिसके लिये वह पहुंच बनाना चाहता हो, का उल्लेख करते हुए लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करेगा.

(4) (1) लोक सूचना अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत निवेदन के प्राप्त होने पर उसकी प्राप्ति की तिथि के तीस दिन के भीतर या तो मांगी गई सूचना को एतदर्थ निर्धारित शुल्क के संदाय पर प्रेषित करेगा या उक्त अधिनियम की धारा 8 या 9 में विनिर्दिष्ट किसी भी कारण से उसे नामंजूर कर सकेगा.

(2) लोक सूचना अधिकारी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अपने उत्तरदायित्वों के समुचित निर्वहन हेतु किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारियों की सहायता प्राप्त कर सकता है.

(3) लोक सूचना अधिकारी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों को व्यवहृत करेगा एवं आवेदकों की यथोचित सहायता भी करेगा.

(4) यदि निवेदित सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकारी से संबंधित हो तो तत्संबंधी निवेदन उस लोक प्राधिकारी को इस अनुरोध के साथ अन्तरित कर दिया जायेगा कि वह वांछित सूचना या उसके संबंधित अंश को आवेदक को उपलब्ध करायें और आवेदक को उक्त अन्तरण के संबंध में सूचित कर दिया जायेगा. इस प्रकार का अन्तरण आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर किया जायेगा.

(5) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी आवेदक को ऐसी सूचना दिये जाने की बाध्यता नहीं होगी जिसका प्रकटीकरण छत्तीसगढ़ विधान सभा के विशेषाधिकार का हनन हो. इस संबंध में अध्यक्ष, विधान सभा छत्तीसगढ़ का निर्णय अन्तिम होगा.

(6) मांगी गई सूचना उस दशा में भी देने से इन्कार किया जा सकेगा यदि अनुरोध-पत्र में प्रयुक्त भाषा छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रतिष्ठा या गरिमा के प्रतिकूल हो.

(7) इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित होने के बावजूद भी आवेदक को वांछित सूचना उसी दशा में दी जायेगी जब आवेदन-पत्र से ऐसा प्रतीत हो कि मांगी गई सूचना सदाशय से मांगी गई है और उसमें कोई कदाशय ध्वनित नहीं हो रहा है.

(8) मांगी गई सूचना तभी दी जायगी जब वह अधिनियम के प्रावधानों से आच्छादित हो.

(5) धारा-6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सूचना अभिप्राप्त करने के लिये किये गये अनुरोध के साथ रुपये 500.00 (रुपये पांच सौ) का आवेदन शुल्क भी भेजा जायेगा जो समुचित रसीद के बदले नगद के रूप में या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के रूप में होगा और जो आहरण एवं संवितरण अधिकारी, विधान सभा सचिवालय, छत्तीसगढ़ के नाम में देय होगा.

शुल्क की धनराशि निम्नलिखित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा की जायेगी :—

"मुख्य शीर्ष 0070-उप मुख्य शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां"

(6) यदि आवेदन पत्र में किया गया अनुरोध स्वीकार कर लिया जाए तो अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिये निम्नलिखित दर पर अतिरिक्त शुल्क प्रभारित किया जायेगा :—

(1) तैयार किये गये या प्रतिलिपि किये गये प्रत्येक कागज (ए-4 अथवा ए-3 आकार के) लिये पन्द्रह रुपये,

(2) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि के लिये पन्द्रह रुपये के अतिरिक्त उसका वास्तविक प्रभार या लागत कीमत,

(3) नमूनों या माडलों के लिये पन्द्रह रुपये के अतिरिक्त उसकी वास्तविक लागत या कीमत, और

(4) अभिलेखों के निरीक्षण के लिये प्रथम घण्टे के लिये पचास रुपये का शुल्क और तत्पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके आंशिक भाग) के लिये दस रुपये का शुल्क.

(7) उक्त अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना प्रदान करने के लिये शुल्क निम्नलिखित दर पर जो समुचित रसीद के बदले नगद के रूप में या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के रूप में होगा और जो आहरण एवं संवितरण अधिकारी, विधान सभा सचिवालय छत्तीसगढ़ के नाम में देय होगा, प्रभारित किया जायेगा :—

(क) डिस्केट अथवा फ्लापी अथवा कम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव में सूचना उपलब्ध कराने के लिये प्रति डिस्केट अथवा फ्लापी अथवा कम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव पन्द्रह रुपये के अतिरिक्त पचास रुपये और,

(ख) मुद्रित प्रारूप में दी गई सूचना के लिये, ऐसे प्रकाशन के लिये नियत मूल्य पर अथवा ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की छायाप्रति की प्रति पृष्ठ के लिये पन्द्रह रुपये.

(8) मानचित्र और रेखाचित्रों आदि के मामलों में श्रम और सामग्री में लगाये जाने में अपेक्षित लागत के आधार पर प्रत्येक मामले में शुल्क जन सूचना अधिकारी के द्वारा नियत किया जायेगा.

(9) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में मांगी गयी सूचना इस प्रकार सुतथ्यत: उल्लिखित की जायेगी जिससे वह पूर्णतया बोधगम्य हो अन्यथा ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना बाध्यकारी नहीं होगा.

(10) कोई आवेदक जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सूचना चाहता हो लोक सूचना अधिकारी को आवेदन-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में देगा.

(11) यदि वांछित सूचना भेजने हेतु अतिरिक्त शुल्क आवश्यक हो तो लोक सूचना अधिकारी तत्संबंधी गणना सूचित करते हुए आवेदक से यह अनुरोध करेगा कि

आवदेक द्वारा उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा किया जाय और इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को सूचना भेजने की तिथि एवं अतिरिक्त शुल्क जमा होने की तिथि के मध्य की अवधि एतदर्थ निर्धारित तीस दिन की अवधि में आगणित नहीं की जायेगी.

(12) यदि आवेदन-पत्र में मांगी गयी किसी सूचना से संबंधित अभिलेख देखने के लिये अनुमति दी जाये तो उस संबंध में आवेदक को निम्नलिखित सूचना भेजी जायेगी कि—

(क) वांछित सूचना में से केवल संगत अंश ही देखे जा सकते हैं जिनको इस प्रकार देखने हेतु छूट है,

(ख) वे कारण जिनके आधार पर वांछित सूचना को आंशिक रूप से दिखाये जाने का निर्णय लिया गया है,

(ग) उस व्यक्ति का नाम जिसने इस संबंध में निर्णय लिया हो, और

(घ) शुल्क की धनराशि और उसे आगणित किये जाने संबंधी गणना.

(13) यदि किसी आवेदक को उसके द्वारा मांगी गयी सूचना के संबंध में कोई जानकारी एतदर्थ निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होती है या उसके द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र के अस्वीकार हो जाने के निर्णय की सूचना उसे प्राप्त होती है तो वह अपीलीय अधिकारी को अधिनियम में निर्धारित अवधि की समाप्ति के उपरान्त से तीस दिन के भीतर इस हेतु अपील कर सकता है.

3. **निरसन तथा व्यावृत्ति**

(14) इन नियमों के अनुरूप कोई भी नियम, जो कि इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं.

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानीय उपबंधों के अधीन किया गया या की गई समझी जायेगी.

उक्त नियम प्रभावशील होने के दिनांक को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लंबित आवेदनों का निराकरण भी उक्त नियमों के अंतर्गत ही किया जाएगा.

आदेशानुसार,

हस्ता./-
देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.